न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/2020 निगरानी नगरपालिका

1. ईश्वरचंद शर्मा पुत्र श्री प्रभूदयाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड संख्या 16 बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. अशोक शर्मा पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड संख्या 16 बांदीकुई जिला दौसा।
2. पंकज शर्मा पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड संख्या 16 बांदीकुई जिला दौसा।
3. नगरपालिका मण्डल बांदीकुई जरिये अधिशाषी अधिकारी बांदीकुई।

गैरनिगरानीकर्तागण

(निगरानी विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.10.2020 क्रमांक न.पा.बा./2020/3462–3464
नामान्तरकरण पत्र क्रमांक 2020/126 दिनांक 28.02.2020)

उपस्थिति :श्री ऋषभदेव जैमन अधिवक्ता निगरानीकार उपस्थित।
:श्री सत्यनारायण शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 1 उपस्थित।
:श्री विश्राम दयाल प्रजापति अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 2 उपस्थित।

–:निर्णयः– दिनांकः 28.11.2024

(प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी)

संक्षिप्त में प्रस्तुत की गई निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि नामान्तरकरण पत्र क्रमांक 2020/126 दिनांक 28.02.2020 के द्वारा कमला शर्मा बेवा प्रभूदयाल शर्मा, ईश्वरचंद शर्मा, अशोक शर्मा, पंकज शर्मा पिसरान प्रभूदयाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड संख्या 16 बांदीकुई के नाम नामान्तरकरण पत्र जारी किया था। उक्त जारी नामान्तरकरण पत्र को गैरनिगरानीकार अशोक शर्मा व पंकज शर्मा द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई। उक्त आपत्ति पर गैरनिगरानीकार संख्या 03 द्वारा दोनो पक्षो को बुलवाकर सुनवाई की गई तथा सुनवाई के बाद उक्त नामान्तरकरण से सम्बद्ध प्रोपर्टी पर न्यायालय ए.डी.जे. कोर्ट बांदीकुई में वाद विचाराधीन होने तथा वसीयत जिसके आधार पर नामान्तरकरण खोला गया है उसे अनरजिस्टर्ड पाये जाने पर उक्त नामान्तरकरण निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर निगरानीकार द्वारा यह निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

निगरानी न्यायालय में पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर गैर निगरानीकारान की तलबी की गई। प्रकरण से सम्बन्धित नगरपालिका मण्डल बांदीकुई की मूल पत्रावली तलब की गई। गैर निगरानीकार संख्या 2 पंकज शर्मा द्वारा न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। निगरानीकार द्वारा धारा 151 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् अधिवक्ता निगरानीकार एवं अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 28.11.2024 16:40:41 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता प्रार्थी (गैर निगरानीकार संख्या 2) द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि निगरानीकार द्वारा नगरपालिका बांदीकुई द्वारा खारिज किये गये नामान्तरकरण संख्या 2020/126 दिनांक 28.01.2020 के खिलाफ अपील पेश नहीं कर निगरानी पेश की है। निगरानीकार को उक्त नामान्तरकरण की निगरानी माननीय रेवेन्यू बोर्ड या संभागीय आयुक्त के यहां की जानी चाहिये थी, जो नहीं की गई है। माननीय न्यायालय में तो अपील पेश की जानी चाहिये थी। अतः प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी स्वीकार की जाकर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी (निगरानीकार) द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी की जवाब बहस के दौरान निवेदन किया कि नगरपालिका मण्डल बांदीकुई द्वारा पारित निर्णय अनुसार तथाकथित वसीयत जिसके आधार पर नामान्तरकरण खोला गया है वह रजिस्टर्ड नहीं है जबकि कानूनन वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। नामान्तरकरण आदेश से सम्बन्धित प्रोपर्टी का तकास्मे का मुकदमा न्यायालय ए.डी.जे. कोर्ट बांदीकुई में विचाराधीन है परन्तु उक्त प्रोपर्टी के मालिकाना अधिकार के बाबत कोई विवाद व दावा विचाराधीन नहीं है ना ही इसमें नगरपालिका बांदीकुई पक्षकार है ना ही किसी प्रकार का कोई स्टे आदेश वहां से नामान्तरकरण खोले जाने पर जारी है। माननीय न्यायालय ए.डी.जे. बांदीकुई में विचाराधीन मुकदमें में वसीयतकर्ता प्रभूदयाल की तीनो पुत्रियां भी पक्षकार रहे है। जबकि उक्त नामान्तरकरण को वसीयतकर्ता की पुत्रियों द्वारा किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी गई है। नामान्तरकरण खोले जाने से पूर्व 15 दिवस आपत्ति नोटिस स्थानीय पेपर में साया किया था लेकिन कोई आपत्ति गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रार्थी (गैर निगरानीकार) के किस जाप्ते के तहत यह निगरानी पोषणीय नहीं है। उक्त आदेश की अपील रेवेन्यू बोर्ड व संभागीय आयुक्त में ही प्रस्तुत की जाने चाहिये इसके सम्बन्ध में भी प्रार्थी (गैर निगरानीकार) द्वारा कोई जाप्ता अंकित नहीं किया है। अप्रार्थी निगरानीकार ने दफा 327 राजस्थान नगरपालिका कानून के तहत निगरानी पेश की है तथा नगरपालिका बांदीकुई आटोनोमस बाडी है जिसका स्वयं का विशेष कानून है तथा उसी विशेष कानून के तहत उक्त निगरानी सुनने का न्यायालय को पूरा श्रवणाधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बांदीकुई के निर्णय दिनांक 21.10.2020 क्रमांक न.पा.बा./2020/3462–3464 में अंकितानुसार उनके कार्यालय द्वारा नामान्तरकरण पत्र क्रमांक 2020/126 दिनांक 28.02.2020 के द्वारा श्रीमति कमला शर्मा पत्नि स्व. श्री प्रभुदयाल शर्मा, श्री ईश्वर चन्द्र शर्मा, श्री अशोक शर्मा, श्री पंकज शर्मा पुत्रान स्व. श्री प्रभुदयाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड संख्या 16 बांदीकुई के नाम नामान्तरकरण पत्र जारी किया गया था। तत्पश्चात् उक्त नामान्तरकरण पत्र पर श्री अशोक शर्मा, श्री पंकज शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रभुदयाल शर्मा द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई। जिस पर अधिशाषी [illegible] नगरपालिका बांदीकुई द्वारा दोनो पक्षों को बुलवाकर सुनवाई की गई। [illegible] आया है कि सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर माननीय न्यायालय में वाद विचाराधीन है [illegible] श्री ईश्वर द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत शपथ पत्र में उक्त तथ्यों को छुपाया गया है। उक्त आलोक में नामान्तकरण संख्या 2020/126 दिनांक 28.01.2020 को अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बांदीकुई द्वारा निरस्त किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.12.19 16:50:49 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रकरण सम्पत्ति के अन्तरण से सम्बन्धित है तथा स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/15/5843 दिनांक 10.06.2016 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 की उप धारा 2 सपठित धारा 337 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को उक्त धारा 73 के अधीन सम्पत्ति के अन्तरण और संविधा से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई कर निस्तारण करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में निगरानी इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त विवचेन के आधार पर उक्त विचाराधीन प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से प्रार्थी (गैर निगरानीकार संख्या 2) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। साथ ही निगरानीकर्ता द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ नगरपालिका मण्डल बांदीकुई की मूल पत्रावली वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.12.19 16:30:49 IST
Reason: SelfAttested